

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 294]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1976/भाद्र 13, 1898

No. 294]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1976/BHADRA 13, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September 1976

G.S.R. 786(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933 namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Ninth Amendment) Rule 1976.
- (2) They shall come into force on the 6th September, 1976.
2. In the Indian Post Office Rules, 1933, in the Schedule below rule 6, in item (b), after the word "Burma", the word "Pakistan", shall be inserted.

[No. 1-15/76/R]

DALJINDER SINGH,

Member (Postal Operations) of the P&T Board
and Ex-Officio Additional Secretary.

संचार मंत्रालय
(डाक तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर 1976

सां० कां० नि० 786(अ).—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नवर्ती नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (नवां संशोधन) नियम, 1976 कहा जाए।
(2) वे 6 सितम्बर, 1976 से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में नियम 6 के नीचे अनुसूची में, मद (ख) में शब्द "बर्मा", के बाव "पाकिस्तान", जोड़ा जाएगा।

[सं० 1-15/76-वर]

वलजिन्दर सिंह,
सचिव (डाक प्रशासन)
डाक तार बोर्ड तथा
पदेन अतिरिक्त सचिव।